

## अध्याय 1

### प्रस्तावना

#### 1.1 बजट प्रोफाइल

हरियाणा सरकार के अंतर्गत 56 विभाग तथा 29 स्वायत्त निकाय क्रियाशील हैं। वर्ष 2012-17 के दौरान बजट अनुमानों तथा राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति नीचे तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1: 2012-17 के दौरान राज्य का बजट तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
सामान्य सेवाएं	12,331	11,897	14,481	13,597	16,639	16,765	19,668	18,713	21,663	21,631
सामाजिक सेवाएं	15,935	14,516	18,563	15,414	21,498	19,120	25,015	21,539	29,403	25,473
आर्थिक सेवाएं	11,348	11,557	13,000	12,740	14,372	13,088	16,549	18,691	23,482	20,875
सहायता अनुदान एवं अंशदान	170	102	179	136	194	145	213	293	248	424
<b>कुल (1)</b>	<b>39,784</b>	<b>38,072</b>	<b>46,223</b>	<b>41,887</b>	<b>52,703</b>	<b>49,118</b>	<b>61,445</b>	<b>59,236</b>	<b>74,796</b>	<b>68,403</b>
पूंजीगत परिव्यय	4,661	5,762	5,766	3,935	5,747	3,716	5,904	6,908	8,817	6,863
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	874	522	1,084	776	1,001	843	1,367	13,250	4,729	4,515
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	9,221	5,951	13,105	7,968	13,850	8,227	10,036	7,215	9,677	5,276
आकस्मिक निधि	-	-	-	-	-	-	-	63	-	80
लोक लेखा संवितरण	75,894	21,074	94,863	24,560	52,478	25,609	84,833	28,650	96,756	29,276
अंतिम नकद शेष	-	2,697	-	6,007	-	6,508	-	6,218	-	5,658
<b>कुल (2)</b>	<b>90,650</b>	<b>36,006</b>	<b>1,14,818</b>	<b>43,246</b>	<b>73,076</b>	<b>44,903</b>	<b>1,02,140</b>	<b>62,304</b>	<b>1,19,979</b>	<b>51,668</b>
<b>कुल योग (1+2)</b>	<b>1,30,434</b>	<b>74,078</b>	<b>1,61,041</b>	<b>85,133</b>	<b>1,25,779</b>	<b>94,021</b>	<b>1,63,585</b>	<b>1,21,540</b>	<b>1,94,775</b>	<b>1,20,071</b>

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरणियां तथा राज्य सरकार के बजट के स्पष्टीकरण ज्ञापन।

#### 1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

2016-17 के दौरान ₹ 1,94,775 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के विरुद्ध संसाधनों का उपयोग ₹ 1,20,071 करोड़ था। राज्य का कुल व्यय<sup>1</sup> 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 44,356 करोड़ से 80 प्रतिशत बढ़कर ₹ 79,781 करोड़ हो गया जबकि राजस्व व्यय उसी अवधि के दौरान ₹ 38,072 करोड़ से 80 प्रतिशत बढ़कर ₹ 68,403 करोड़ हो गया। इस अवधि के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय ₹ 28,616 करोड़ से 62 प्रतिशत बढ़कर ₹ 46,284 करोड़ हो गया। 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय ने कुल व्यय का 75 से 92 प्रतिशत संघटित किया जबकि पूंजीगत व्यय सात से 13 प्रतिशत था।

<sup>1</sup> राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम का योग।

2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान कुल व्यय 17 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ा जबकि राजस्व प्राप्तियां 12 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ी।

### 1.3 अनवरत बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान 13 अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹ 10 करोड़ से अधिक की अनवरत बचतें थी जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थी जैसा तालिका 1.2 में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका 1.2: अनवरत बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>						
1.	07-आयोजना एवं सांख्यिकी	270.60 (69)	280.85 (51)	333.58 (81)	237.74 (58)	283.17 (62)
2.	09-शिक्षा	1,591.65 (19)	1,818.31 (21)	1,369.49 (14)	2,317.26 (20)	3,436.36 (25)
3.	10-तकनीकी शिक्षा	68.22 (19)	78.68 (21)	137.08 (28)	93.47 (20)	98.19 (21)
4.	11-खेल एवं युवा कल्याण	19.25 (13)	56.33 (31)	58.82 (25)	84.43 (27)	105.84 (25)
5.	13-स्वास्थ्य	253.27 (14)	279.74 (14)	576.18 (21)	547.14 (18)	595.38 (18)
6.	14-शहरी विकास	41.48 (15)	118.37 (62)	32.64 (24)	63.06 (37)	12.47 (13)
7.	15-स्थानीय शासन	379.76 (22)	589.57 (27)	584.00 (28)	1,407.70 (43)	879.77 (25)
8.	17-रोजगार	15.14 (20)	25.61 (33)	25.15 (31)	29.62 (38)	16.12 (23)
9.	23-खाद्य एवं आपूर्ति	107.83 (52)	185.52 (51)	166.43 (45)	122.74 (33)	115.61 (14)
10.	24-सिंचाई	375.55 (27)	382.54 (25)	512.00 (31)	359.16 (21)	512.12 (27)
11.	27-कृषि	184.55 (20)	256.92 (24)	473.74 (37)	374.19 (27)	826.91 (43)
12.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	159.83 (10)	345.36 (16)	580.95 (23)	815.54 (28)	366.90 (10)
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>						
13.	38-जन-स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति	324.40 (28)	137.28 (11)	146.74 (13)	323.70 (28)	310.50 (25)
<b>पूंजीगत (भारित)</b>						
14.	लोक ऋण	4,250.68 (40)	5,027.64 (38)	5,622.44 (41)	2,820.83 (28)	4,401.67 (45)

टिप्पणी: कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचत की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोजन लेखे)

## 1.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त किए गए सहायता अनुदान पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 में ₹ 701.18 करोड़ तक घट गए जैसा तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
गैर-योजनागत अनुदान	851.62 (-32)	2,256.17 (165)	1,723.20 (-24)	3,744.39 (117)	3,078.49 (-18)
राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	727.75 (8)	856.66 (18)	2,815.36 (229)	2,268.18 (-19)	2,327.52 (3)
केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	44.32 (-13)	62.99 (42)	24.57 (-61)	27.53 (12)	34.50 (25)
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	715.56 (-9)	951.36 (33)	439.75 (-54)	338.66 (-23)	237.07 (-30)
कुल	2,339.25 (-15)	4,127.18 (76)	5,002.88 (21)	6,378.76 (28)	5,677.58 (-11)

(पिछले वर्ष पर वृद्धि प्रतिशतता कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार, विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ही विस्तृत निधियां हस्तांतरित कर रही थी। भारत सरकार ने 2014-15 से आगे इन निधियों को राज्य बजट के माध्यम से हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। तथापि, 2016-17 के दौरान भारत सरकार ने राज्य में विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/ गैर-सरकारी संगठनों को सीधे ही ₹ 1,483.69 करोड़ हस्तांतरित किए।

## 1.5 लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन

विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों तथा स्कीमों/परियोजनाओं के जोखिम निर्धारण, गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता, सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रणों तथा नागरिकों की अपेक्षाओं और पिछले लेखापरीक्षा परिणामों के आकलन के साथ लेखापरीक्षा प्रक्रिया शुरू होती है। जोखिम निर्धारण के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा निश्चित की जाती है और वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अध्यक्ष को चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ जारी किया जाता है। जब-जब उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो समाधान कर दिया जाता है अथवा अनुपालना के लिए अगली कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

2016-17 के दौरान, राज्य के 1,066 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत आवृत्त 22 स्वायत्त निकायों सहित 33 स्वायत्त निकायों की

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त, दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं<sup>2</sup> भी की गई थी।

### 1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा लेखापरीक्षा को सरकार के उत्तर

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों, जिनका विभागों के कार्यक्रमों तथा कार्यविधियों की सफलता पर निगेटिव प्रभाव है, पर रिपोर्ट की है। मुख्यतः नागरिक सेवाओं में सुधार लाने हेतु कार्यकारियों को उपयुक्त सिफारिशें प्रदान करने पर जोर देना था। विभागों द्वारा छः सप्ताह के भीतर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप अनुच्छेदों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजनी अपेक्षित थी।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 23 अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं, जो संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रोषित किए गए थे। प्रशासनिक विभागों के उत्तर केवल चार अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के लिए प्राप्त किए गए हैं जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए हैं।

### 1.7 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां

सरकारी विभागों के लेखाओं की नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए वसूलियों से आवेष्टित लेखापरीक्षा परिणाम, पुष्टि तथा लेखापरीक्षा को सूचना के अधीन आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को भेजे गए थे। निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् विभिन्न विभागों द्वारा 2016-17 के दौरान 45 मामलों में ₹ 5.60 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

### 1.8 लेखापरीक्षा को सरकार की जवाबदेही में कमी

सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षणों के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों के साथ लेखापरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करते हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों से इंगित की गई त्रुटियों तथा चूकों को तत्परता से दूर करने और चार सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालना सूचित करने की प्रत्याशा की जाती है। छः माह से अधिक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन की अर्ध-वार्षिक रिपोर्टें, लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की मानीटरिंग तथा अनुपालना को सुगम बनाने के लिए, विभागों के संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भी भेजी जाती हैं।

सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के मार्च 2017 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 16,33,996.87 करोड़ के धन मूल्य वाले 317 निरीक्षण प्रतिवेदन के 1,028 अनुच्छेद मार्च 2017 के अंत तक बकाया थे

<sup>2</sup> (i) महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली तथा (ii) हरियाणा में जेलों का प्रबंधन।

जैसा नीचे तालिका में इंगित किया गया है।

**तालिका 1.4: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विघटन**

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2003-04 से 2011-12	164	315	432.29
2012-13	30	84	42.38
2013-14	23	93	199.43
2014-15	31	119	2,181.26
2015-16	32	162	379.17
2016-17	37	255	16,30,762.34 <sup>3</sup>
<b>कुल</b>	<b>317</b>	<b>1,028</b>	<b>16,33,996.87</b>

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय में अनुरक्षित आई.आर. रजिस्ट्रारों से ली गई सूचना)

इन निरीक्षण प्रतिवेदनों, जिनका 31 मार्च 2017 तक समाधान नहीं किया गया था, के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं के श्रेणी-वार विवरण **परिशिष्ट 1.1** में इंगित किए गए हैं।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर तुरंत एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई।

### 1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्टूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि क्या ये मामले लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु लिए गए थे या नहीं, स्वतः कार्रवाई आरंभ की जानी अपेक्षित है। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले.प.प्र.) के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई इंगित करते हुए कृत कार्रवाई टिप्पणियां (कृ.का.टि.) प्रस्तुत करनी अपेक्षित है।

2012-13, 2014-15 तथा 2015-16 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए अनुच्छेदों की स्थिति की समीक्षा ने प्रकट किया कि 35 प्रशासनिक विभागों (**परिशिष्ट 1.2**) से संबंधित 77 अनुच्छेदों (निष्पादन लेखापरीक्षाओं सहित) पर अभी लोक लेखा समिति (मई 2017) में चर्चा की जानी शेष थी। इन 77 अनुच्छेदों में से 26 प्रशासनिक विभागों द्वारा 62 अनुच्छेदों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां **परिशिष्ट 1.3** में दिए गए विवरणों के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई थी।

उन्नीस प्रशासनिक विभागों ने **परिशिष्ट 1.4** में दिए गए विवरणों के अनुसार 38 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संबंध में ₹ 1,718.08 करोड़ की राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

<sup>3</sup> इसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उद्योग विभाग, मछलीपालन विभाग, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, हुडा इत्यादि से वसूलनीय ₹ 16,29,715.82 करोड़ के जल प्रभार शामिल हैं।

आगे, लोक लेखा समिति की सिफारिशों की ओर प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी क्योंकि 1971-72 से 2011-12 तथा 2013-14 तक की अवधि हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 686 सिफारिशों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अंतिम कार्रवाई अब तक वांछित थी (*परिशिष्ट 1.5*)।

### 1.10 राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि के क्षेत्र में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 29 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। 30 जून 2017 को लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखाओं की सुपुर्दगी, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प्र.) को जारी करने तथा विधानसभा में इनके प्रस्तुतिकरण की स्थिति *परिशिष्ट 1.6* में इंगित की गई है।

एक<sup>4</sup> स्वायत्त निकाय ने अपने वार्षिक लेखे गत 20 वर्षों (1996-97 और उसके आगे) से प्रस्तुत नहीं किए थे जबकि अन्य निकायों के संबंध में विलंब एक वर्ष तथा आठ वर्षों के मध्य श्रृंखलित रहा। लेखाओं के अंतिमकरण में विलंब से पता न चल रही वित्तीय अनियमितताओं का जोखिम बढ़ता है। अतः लेखाओं को तुरंत अंतिमकृत एवं प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड चण्डीगढ़ (2009-10 से 2014-15) तथा हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़ (2009-10 से 2013-14) के संबंध में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

### 1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष-वार विवरण

गत दो वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष-वार विवरण उनके धन मूल्य के साथ नीचे तालिका 1.5 में दिए गए हैं।

तालिका 1.5: 2014-16 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट समीक्षाओं तथा अनुच्छेदों से संबंधित विवरण

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		अनुच्छेद		प्राप्त किए गए उत्तर	
	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखापरीक्षा	ड्रॉफ्ट अनुच्छेद
2014-15	3	242.86	27	285.78	3	13
2015-16	3	201.80	20	545.36	-	9

2016-17 के दौरान ₹ 681.26 करोड़ मूल्य वाली दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं (₹ 72.08 करोड़) तथा 23 अनुच्छेद (₹ 609.18 करोड़) इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं।

<sup>4</sup> जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर।